प्राप्य अनुलग्नक – I

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 17– नियोजन (भर्त्ती कोषांग)– 82/2020 10032 पटना, दिनांक :– 24-06-2020

आदेश

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत विभिन्न पदों पर नवनियोजित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना में योगदान के संबंधित तिथि, समय एवं योगदान स्थल की जानकारी निदेशालय के वेबसाईट www.dlrs.bihar.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। इस क्रम में दिनांक– 27.06.2020 को विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के योगदान हेतु तिथि निर्धारित है। योगदान के समय सभी नवनियोजित पदाधिकारी निम्न कागजात अपने साथ लाना सुनिश्चित करेंगे एवं योगदान के समय निम्न प्रकार से कागजातों को उपलब्ध करायेंगे :–

1. नवनियोजित पदाधिकारी संबंधित टेबुल पर योगदान के समय निम्नलिखित का मूल कागजात एवं उसका स्वअभिप्रमाणित 2–2 छायाप्रति संबंधित टेबुल के कर्मी/सहायक संख्या–02 को उपलब्ध करायेंगे – (1) दसवीं का प्रमाण पत्र (2) दसवीं का अंक पत्र (3) बारहवी का अंक पत्र (4) बारहवी का प्रमाण पत्र (5) बी0टेक0 का अंक पत्र (6) बी0टेक0 का प्रमाण पत्र (7) अनुभव प्रमाण पत्र (8) जाति प्रमाण पत्र (जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया है, के लिए मात्र) (9) पेन कार्ड एवं (10) आधार कार्ड (11) विकलांगता प्रमाण पत्र (जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया है, के लिए मात्र) (12) स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र (जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया है, के लिए मात्र)। मूल प्रमाण पत्र से मिलान पश्चात उन्हें मूल प्रमाण पत्र वापस कर दिया जायेगा।
2. इसके अतिरिक्त– (1) 3 पासपोर्ट साईज फोटो, (2) Terms of Assignment & Affidavit की मूल प्रति (3) Medical Fitteness प्रमाण पत्र की मूल प्रति (4) Relieving Letter (Last Organisation) मूल प्रति, (5) Original Voucher of Laptop (6) Original Voucher of Mobile भी नवनियोजित द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा जिसे प्राप्त करने की जिम्मेदारी कर्मी/सहायक सं0–2 की जायेगी।
3. कर्मी/सहायक संख्या–01 द्वारा मूल प्रमाण पत्रों से मिलान पश्चात एवं सभी कागजात प्राप्ति पश्चात इस आशय का इंद्राज दिये गये प्रपत्र Checklist for Verification of documents with originals करेंगे। उक्त प्रपत्र पर कर्मियों के अतिरिक्त नवनियोजित भी पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे।
4. निवनियोजितों द्वारा Applicants Detail Form For Personnel Management System भी विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जायेगा।
5. अपूर्ण रूप से कागजात उपलब्ध कराये जाने तथा मूल प्रमाण पत्र जाँच हेतु उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में उन नवनियोजितों के योगदान की स्वीकृति उनके द्वारा अपेक्षित कागजात निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराये जाने पर ही होगा। कागजात उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में उनकी नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।

उक्त आदेश का अनुपालन सभी नवनियोजित द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

24/6/20
(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 17– नियोजन (भर्त्ती कोषांग)– 82/2020 10032 पटना, दिनांक :– 24-06-2020

प्रतिलिपि :– नवचयनित विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ कार्यार्थ प्रेषित।

24/6/20
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17– नियोजन (भर्त्ती कोषांग)– 82/2020 10032 पटना, दिनांक :– 24-06-2020

प्रतिलिपि :– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17– नियोजन (भर्त्ती कोषांग)– 82/2020 10032 पटना, दिनांक :– 24-06-2020

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

24/6/20

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2020\Assistant Director sir\Order\File no - 82_2020_24-06-2020_2.doc